संख्या-477/2025/1283/25-27-सिं-4-4(डब्ल्यू)/2025 क0स0-1918429

प्रेषक

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2025**

विषय: रबी 1433 फसली (वर्ष 2025-26) में शारदा सहायक पोषक नहर का अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु नहर बन्दी की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-539/सिनिक-19/नहर बन्दी, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारदा सहायक पोषक नहर में आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु रबी 1433 फसली (वर्ष 2025-26) में दिनांक 12.10.2025 से दिनांक 08.11.2025 तक नहर बन्दी की अनुमति इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में नहर का अनुरक्षण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जायेगा।

2. उक्त नहर बन्दी के सम्बन्ध में उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए उक्त से क्षेत्रीय मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं अन्य मा0 जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाये।

भवदीय
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 477/2025/1283(1)/25-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ/प्रयागराज/अयोध्या/आजमगढ़/वाराणसी मण्डल, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़,आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी एवं जौनपुर।
7. प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

https://shasanadesh.up.gov.in

9. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-2564/शा0सहा0(अनु0प्रको0), दिनांक 25.09.2025 के सन्दर्भ में।
12. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in